


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज घनश्याम उर्फ घासीलाल बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी व अन्य अपील संख्या 485/2020 जीसीएमएस नम्बर 2020/00359	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र बाबत अपील न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी को हस्तान्तरित किये जाने का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त अपील सहबन से न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर ने न्यायालय हाजा को हस्तान्तरित कर दी गई है। अतः पत्रावली को वापिस राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर को हस्तान्तरित करने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के मूल वाद में डिक्री दिनांक 14.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपील इस न्यायालय में मेण्टेनेबल नहीं होने से अपील वापिस सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लोटाया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः आदेश है कि अपील अपीलांट को सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में पेश करने हेतु वापस लोटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (रश्मि गुप्ता) संभागीय आयुक्त जयपुर</p>	